CNR No UPDEO 1004272 2022

<u>न्यायालय सत्र न्यायाधीश,देवरिया।</u>

उपस्थितः— जे0पी0यादव, एच0जे0एस0

प्रथम जमानत प्रार्थना—पत्र संख्या— 2173/2022,

1— गोविन्द पुत्र विरेन्द्र यादव,

2— देवेन्द्र यादव पुत्र दूधनाथ,

साकिनान भेढ़वा टोला करजनिया, थाना खामपार, जिला देवरिया। प्रार्थी/अभियुक्तगण

<u>प्रति</u>

उत्तर प्रदेश राज्य प्रतिपक्षी,

अपराध संख्या— 80/2022,
धारा—147,308,323,325,504,506भा0दं0सं0
थाना—खामपार, जनपद देवरिया।

प्रस्तुत जमानत प्रार्थना—पत्र प्रार्थी/अभियुक्तगण गोविन्द व देवेन्द्र यादव जो मुकदमा अपराध सं0 80/2022, धारा—147,308,323,325,504,506भा0दं0सं0 थाना खामपार, जनपद देवरिया के अन्तर्गत न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार मे निरूद्व हैं, के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। उक्त जमानत प्रार्थनापत्र पर प्रार्थी/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्को को सुना,अभियोजन प्रपत्रों का परिशीलन किया।

प्रार्थी/अभियुक्तगण के जमानत प्रार्थना पत्र के साथ शपथकर्ता रंजीत कुमार द्वारा इस आशय का शपथपत्र प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्तगण यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है। अभियुक्तगण का अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में न तो दिया गया है, न निरस्त हुआ है और न ही विचाराधीन है।

प्रथम सूचनाकर्ता जटाशंकर सिंह द्वारा थाना खामपार पर इस आशय की प्राथमिकी दर्ज करायी गई कि दिनांक 06—04—2022 को समय करीब 12—00 बजे दिन में थाना खामपार से मोटर साईकिल से विवेक मिश्र पुत्र रामप्यारे मिश्र के साथ अपने घर वापस जा रहे थे कि पुरानी रंजिश के कारण प्रथम सूचनाकर्ता के गांव के सुनील सिंह पुत्र जनार्दन, प्रमोद पुत्र रामाअधार, उपेन्द्र पुत्र शिवनाथ, अंशू उर्फ आशुतोष पुत्र विजय प्रताप साकिन राजपुर व बगल गांव के गोविन्द पुत्र विरेन्द्र यादव, देवेन्द्र यादव व नितेश पुत्र दूधनाथ साकिन भेडवा टोला करजनीया, गोल बनाकर हाथ मे लाठी डण्डा व लोहे की हथौडी लेकर जान से मारने की नियत से चकिया कोठी पुल के पास प्रथम सूचनाकर्ता को भद्दी—भददी गालियां देते हुए घेर लिये तथा प्रथम सूचनाकर्ता के उपर सुनील सिंह जान मारने की नियत से हथैडे से प्रथम सूचनाकर्ता के चेहरे पर मार दिया जिससे वह गिर गया तथा शेष लोग प्रथम सूचनाकर्ता को लाठी डण्डा व हथौडे से तथा लात मुक्का से बुरी तरह से मारे पीटे जिससे प्रथम सूचनाकर्ता बेहोश हो गया। प्रथम सूचनाकर्ता के साथ आ रहे व्यक्ति विवेक मिश्र ने शोर किया जिस पर गांव के ओमप्रकाश पुत्र लक्षुमन व शमशेर पुत्र छोटेलाल व अन्य बहुत से लोग घटना स्थल पर पहुंच गए। जिससे उपरोक्त लोग पिस्टल से फायर करते हुए तथा जान से मारने की धमकी देते हुए भागे। उक्त घटना मे प्रथम

सूचनाकर्ता के सर पर, चेहरे पर आंख पर तथा रीढ की हड्डी पर काफी चोटे आयी। प्रथम सूचनाकर्ता मौके पर बेहोश हो गया था तथा उसका मोबाईल व चेन भी गायब हो गया। प्रथम सूचनाकर्ता को लेकर उसके परिवार के राजसिंह सरकारी अस्पताल भिंगारी बाजार आये जहां प्राथमिक उपचार के बाद डाक्टर ने सदर अस्पताल देवरिया रेफर कर दिया। प्रथम सूचनाकर्ता का दवा इलाज सरकारी अस्पताल मे चल रहा है। आंख पर चोट लगने के कारण प्रथम सूचनाकर्ता को बाये आंख से दिखायी नही दे रहा है।

प्रथम सूचनाकर्ता की उक्त सूचना के आधार पर थाना खामपार मे मुकदमा अपराध सं0 80/2022, धारा–147,148,323,504,506,308 भा0द0सं0, अभियुक्तगण सुनील सिंह, प्रमोद, उपेन्द्र, अंशु उर्फ आशुतोष, गोविन्द, देवेन्द्र यादव व नितेश यादव के विरूद्व पंजीकृत किया गया।

प्रार्थी/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा मूल रूप से तर्क के दौरान कहा गया कि प्रार्थी/अभियुक्तगण को रंजिशन असत्य कथनों के आधार पर इस मामले में लिप्त किया गया है। अभियोजन की कहानी मिथ्या व बनावटी है। प्रकरण मे प्रथम सूचना रिपोर्ट दो दिन विलम्ब से दर्ज करायी गई है विलम्ब का कोई कारण नही दिया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं घायल के मेडिकल रिपोर्ट मे टकराव है। मामले मे धारा 308 भा0द0सं0 का कोई अपराध नही बनता है वादी को सर मे कोई फ्रैक्चर नही पाया गया है। सबूत पक्ष के अनुसार वादी/घायल जटाशंकर सिंह को गम्भीर चोट सहअभियुक्त सुनील सिंह द्वारा पहुंचाना कहा गया है। प्रार्थी/अभियुक्त का अतीत उज्जवल रहा हैं। प्रथम सूचनाकर्ता थाना खामपार का हिस्ट्रीशीटर है उसका काफी लम्बा आपराधिक इतिहास है आपराधिक प्रवृत्ति का होने के कारण प्रथम सूचनाकर्ता पुलिस एवं क्षेत्र जवार के लोगो के आंखो का काटा है उसके तमाम दुश्मनान है, चोटहिल के दवा इलाज के कागजात से स्पष्ट है कि उसे चोट किसी अन्य स्थान पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा पहुंचायी गई है। सहअभियुक्तगण की जमानत प्रस्तुत न्यायालय से स्वीकृत हो गयी है। प्रार्थी/अभियुक्तगण को चुनावी रंजिश के कारण प्रथम सूचना रिपोर्ट मे नामजद किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्तगण दिनांक 06–10–2022 से जिला कारागार मे निरूद्व है। प्रार्थी/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कहा गया हैं कि मामले के सभी तथ्यों को देखते हुए अभियुक्तगण जमानत पर छोडे जाने के पात्र है और अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना चाहिए।

अभियोजन पक्ष की तरफ से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, (फौजदारी) एवं वादी पक्ष की तरफ से उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण ने जमानत प्रार्थना–पत्र का विरोध करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया कि घटना की तिथि को प्रार्थी/ अभियुक्तगण द्वारा सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर प्रथम सूचनाकर्ता को लाठी डण्डा व हथौडे से मारकर गम्भीर उपहति कारित की गयी। विद्वान अधिवक्तागण द्वारा कहा गया हैं कि मामले के

सभी तथ्यों को देखते हुए अभियुक्तगण जमानत पर छोडे जाने के पात्र नही है और अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाना चाहिए।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रो के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी/अभियुक्तगण द्वारा सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर प्रथम सूचनाकर्ता को लाठी, डण्डा व हथौडे से मारकर गम्भीर चोटे कारित किये जाने का तथ्य प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित है। प्रार्थी/अभियुक्तगण द्वारा अपने जमानत प्रार्थना पत्र मे अभियोजन के उपरोक्त कथन से इंकार किया गया है। मजरूब जटाशंकर सिंह की चिकित्सीय आख्या के अनुसार उसके शरीर पर कुल 08 चोटे आना अंकित है, जिसमे चोट सं01 को आई सर्जन के लिए रेफर किया गया है, चोट सं02 को एनसीसीटी हेड की एडवाईज के लिए तथा शेष चोटो को एक्स–रे के लिए रेफर किया है। जटाशंकर सिंह के एक्स–रे रिपोर्ट मे उसके कंधे मे फ्रैक्चर आना अंकित है शेष चोटो के बाबत एन0ए0डी0 अंकित है तथा उसके ब्रेन के सीटी स्कैन रिपोर्ट मे ब्रेन का नार्मल होना अंकित करते हुए सूजन होना अंकित किया गया है। मजरूब की चोट सं01 के बाबत आई सर्जन की रिपोर्ट दिनांकित 07–4–2022 मे मजरूब के शरीर पर आयी सभी चोटो को सामान्य प्रकृति का अंकित किया गया है। इस प्रकार मजरूब को आयी चोटे जीवन के लिए आसन्न संकटाकारी तथा प्राणघातक होना दर्शित नही है। सहअभियुक्तगण की जमानत पूर्व मे स्वीकार की जा चुकी है। प्रार्थी/अभियुक्तगण का रोल भी उन्हीं के समान है। प्रार्थी/अभियुक्तगण दिनांक 06–10–2022 से जिला कारागार मे निरूद्व है।

अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मामले के गुण–दोष के आधार पर कोई टिप्पणी किये बिना मैं जमानत का आधार पर्याप्त पाता हूॅ। तद्नुसार प्रार्थी/अभियुक्तगण की तरफ से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्तगण गोविन्द व देवेन्द्र यादव द्वारा मु0 **50,000/–** **50,000/–रू0** का व्यक्तिगत बन्ध–पत्र तथा इतनी ही राशि के दो–दो प्रतिभू सहित, सम्बन्धित न्यायिक मजिस्ट्रेट की सन्तुष्टि के अनुसार निष्पादित करने पर, उन्हें जमानत पर रिहा किया जावे।

ह0/–

(जे0पी0यादव,)
सत्र न्यायाधीश,
देवरिया।

दिनांकः–06–12–2022